



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 453) पटना, सोमवार, 11 मई 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
7 मई 2026

सं० जी/विविध-20-03/2024/4879—बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम (बिहार अधिनियम सं०-11, 2024) की धारा-9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार राज्य के प्रतिष्ठानों में लोक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन हेतु निम्न नियमावली बनाती है:-

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और
प्रयोज्यता

परिभाषाएँ

- इन नियमों को बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2026 कहा जायेगा और ये -
 - बिहार राज्य के राजपत्र जिसमें ई-राजपत्र भी शामिल है, में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे
 - ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जिन्हें समय-समय पर लोक सुरक्षा समिति द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम संख्या, 11, 2024);
 - “समिति” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत गठित लोक सुरक्षा समिति;
 - “वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक” से अभिप्रेत है वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित जिला पुलिस प्रशासन का प्रमुख;
 - “नगर आयुक्त” से अभिप्रेत है जिला के अंतर्गत संबंधित नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
 - “अनुमंडल पदाधिकारी” से अभिप्रेत है जिला के किसी अनुमंडल का प्रशासनिक प्रमुख;
 - “पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)” से अभिप्रेत है जिला मुख्यालय में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के पद पर पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक की श्रेणी के पुलिस पदाधिकारी;
 - “नामित पदाधिकारी” से अभिप्रेत है समिति या वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत पदाधिकारी, जिसे अपराध की रोकथाम अथवा अन्वेषण हेतु विडियो फुटेज (रियल टाईम एक्सेस सहित) तक पहुँचने अथवा प्राप्त करने का अधिकार है;

- (झ) “निरीक्षण पदाधिकारी” से अभिप्रेत है पुलिस पदाधिकारी (पुलिस निरीक्षक से अन्यून कोटि का न हो) या नगर निगम का पदाधिकारी जिसे समिति या उप समिति द्वारा प्रतिष्ठान के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया हो;
- (ट) “निर्धारित अवधि” से अभिप्रेत है न्यूनतम तीस (30) दिनों अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई लंबी अवधि;
- (ठ) “प्रपत्र” से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (ड) “एसोसियेशन” से अभिप्रेत है:

- (i) ऐसे दुकान/व्यावसायिक इकाईयों के स्वामियों का समूह जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में स्थित हों और पट्टे/किराये पर दिये गये हों; तथा
- (ii) किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुकानों या प्रतिष्ठानों का समूह, जहाँ किसी अवधि विशेष के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो।

लोक सुरक्षा समिति का गठन और संरचना

3. (1) जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (क) नगर आयुक्त- अध्यक्ष
- (ख) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (मुख्यालय)-सदस्य सचिव
- (ग) सी0सी0टी0वी0/सुरक्षा प्रणाली का ज्ञान रखने वाला तकनीकी विशेषज्ञ- सदस्य (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे)
- (घ) स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि-सदस्य
- (2) उप समिति:
- (क) समिति जिला पदाधिकारी की सहमति से अनुमंडल स्तर पर उप समिति गठित कर सकेगी।
- (ख) प्रत्येक उप समिति की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे और इसमें स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारी शामिल होंगे।
- (ग) उप समिति, लोक सुरक्षा समिति अथवा उनके प्रतिनिधि को निरीक्षण एवं अनुपालन में सहायता करेगी तथा उल्लंघनों को प्रतिवेदित करेगी।
- (3) समिति एवं उप समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा कार्यवृत्त एवं जारी निर्देशों का अभिलेख रखेगी और इसकी रिपोर्ट गृह विभाग को प्रेषित करेगी।

लोक सुरक्षा समिति का कार्य

4. (1) अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत समिति प्रपत्र-1 में प्रतिष्ठानों की पहचान निम्न मानको पर करेगी:-
- (क) किसी भी समय औसत दैनिक आगमन एक सौ (100) व्यक्तियों से अधिक होना;
- (ख) धार्मिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, मनोरंजन या आवासीय उद्देश्य हेतु लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना;
- (ग) संवेदनशील या असुरक्षित प्रतिष्ठानों या स्थानों की निकटता;
- (घ) समिति द्वारा उपयुक्त समझे गये अन्य मानक।
- (2) समिति ऐसे पहचाने गये प्रतिष्ठानों का अभिलेख प्रपत्र-2 में रखेगी तथा समय-समय पर इसकी सूची गृह विभाग को प्रेषित करेगी।

परिसर का निरीक्षण

5. (1) समिति अथवा उप समिति के निर्देश पर निरीक्षण पदाधिकारी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगा तथा प्रपत्र-3 में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा।
- (2) लोक सुरक्षा समिति, प्रतिष्ठान के स्वामी या प्रबंधक को निर्देश जारी करेगी कि वे निर्देश प्राप्ति की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें।
- (3) निरीक्षण पदाधिकारी, अनुपालन एवं उल्लंघन का विवरण देते हुए प्रतिवेदन प्रपत्र-4 में समिति या उप समिति को प्रेषित करेगा।
- (4) समिति के निर्देशों का पालन न होने पर, निर्धारित अवधि के अंतिम तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर प्रपत्र-5 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
- (5) यदि निर्दिष्ट अवधि में जवाब प्राप्त न हो या जवाब असंतोषजनक पाया जाए, तो प्रपत्र-6 में दंडादेश जारी किया जा सकता है।

चिन्हित प्रतिष्ठानों के कर्तव्य

6. प्रत्येक पहचाना गया प्रतिष्ठान :
- (क) निर्दिष्ट लोक सुरक्षा उपाय स्थापित एवं संधारित करेगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपकरण कार्यशील हों;
- (ग) विडियो फुटेज को सुरक्षित और संग्रहित करेगा;
- (घ) नामित पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर विडियो फुटेज (रियल टाइम एक्सेस सहित) उपलब्ध करायेगा एवं
- (च) अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

निगरानी प्रणाली की न्यूनतम तकनीकी विशेषताएँ

7. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित निगरानी प्रणाली में न्यूनतम निम्न सुविधाएँ होंगी :-
- (क) सी0सी0टी0वी0 कैमरे न्यूनतम 1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन के साथ;

- (ख) कम रोशनी वाले वातावरण के लिए इन्फ्रारेड या रात्रि दृष्टि क्षमता की सुविधा। जहाँ भी आवश्यकता हो, ए0आई0 सक्षम कैमरा;
- (ग) सर्वाजनिक सड़कों से सटे सभी प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं और निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों का कवरेज;
- (घ) डिजिटल अथवा नेटवर्क आधारित विडियो रिकार्डिंग प्रणाली, छेड़छाड़-रोधी भंडारण के साथ;
- (च) न्यूनतम तीस (30) दिनों की विडियो संग्रहण क्षमता जिसे जिला पदाधिकारी के आदेश से अवधि बढ़ायी जा सकती है;
- (छ) जहाँ लागू हो, (बायोमैट्रिक/आर0एफ0आई0डी0/अन्य साधनों पर आधारित) अभिगम नियंत्रण प्रणाली।

निरीक्षण की प्रक्रिया

2. सरकार समय-समय पर संशोधित विनिर्देश अधिसूचित कर सकती है।
8. (1) अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत निरीक्षण हेतु न्यूनतम दो कार्य दिवस पूर्व सूचना दी जायेगी।
- (2) निरीक्षण पदाधिकारी, जहाँ भी संभव हो, फोटोग्राफिक या विडियो दस्तावेजीकरण के साथ अनुपालन या कमियों को निर्दिष्ट करते हुए समिति को एकप्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समिति प्रतिष्ठान को लिखित निर्देश जारी कर सकती है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो एक माह से अधिक नहीं होगी, अनुपालन करें।
- (4) निर्देशों का अनुपालन न होने पर अधिनियम की धारा-5 (2) के अनुसार दंड अधिरोपित किया जायेगा।

अपील

9. (1) अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत, दंडादेश पारित होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर प्रातिष्ठान पर अधिकारिता रखने वाले जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की जायेगी।
- (2) अपीलकर्ता को अपील के निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (3) जिला पदाधिकारी अपील दायर करने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर एक सकारण आदेश पारित कर अपील का निस्तारण करेंगे।
- (4) आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा समिति को भेजी जायेगी।

दंड की वसूली

10. यदि प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित दंड का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में विफल रहता है, तो उसे नियमानुसार भू-राजस्व बकाया की तरह वसूला जायेगा।

अभिलेखों का संधारण

11. (1) लोकसुरक्षा समिति निम्न अभिलेख संधारित करेगी :
 - (क) अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत पहचाने गये प्रतिष्ठानों की सूची;
 - (ख) निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन नोटिस;
 - (ग) लगाये गये दंड और निस्तारित अपीलों का अभिलेख;
 - (घ) गृह विभाग को भेजी गयी कार्य प्रतिवेदन।
- (2) सरकार कार्यपालिका निर्देशों द्वारा अभिलेखों एवं नोटिसों के प्रारूप निर्धारित कर सकती है।

जन-जागरूकता

12. राज्य सरकार एवं समिति जन-जागरूकता अभियान चला सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है और अनुपालन, संवर्धन तथा हितधारकों की संवेदनशीलता के लिए कार्यशालाएँ आयोजित कर सकती है।

प्रकीर्ण

13. (1) सरकार ऐसे अनुदेश, दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण जारी कर सकती है, जिन्हें वह अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझे।
- (2) इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान न किये गये किसी मामले का निर्धारण सरकार द्वारा ऐसे तरीके से किया जायेगा, जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के. सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

प्रपत्र सं०-1

(नियम-4 का उप-नियम-(1) देखें)

बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 एवं बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2025 के तहत प्रतिष्ठानों की पहचान के लिए प्रपत्र

(1)	प्रतिष्ठान का नाम	
(2)	पूरा पता, लैंड लाईन, मोबाईल सं०, ई-मेल आईडी	
(3)	निकटतम लैंडमार्क	
(4)	स्वामी/अधिभोगी/प्रबंधक/व्यक्ति/व्यक्तियों /एसोसिएशन चलाने वाले प्रतिष्ठान का नाम और पता, मोबाईल नंबर के साथ	
(5)	प्रतिष्ठान का प्रकार अर्थात् व्यवसाय की प्रकृति	
(6)	क्या संपूर्ण भवन का उपयोग, प्रतिष्ठान के स्वामी/स्वामियों के समूह द्वारा किया जा रहा है।	
(7)	यदि किराये में है, तो स्वामी या बिल्डर या एसोसिएशन का विवरण	
(8)	(i) भवन या परिसर में प्रवेश बिन्दुओं की संख्या (ii) भवन या परिसर के निकास बिन्दुओं की संख्या	
(9)	(i) निकटतम पार्किंग स्थल और प्रतिष्ठान से दूरी (ii) पार्क किये गये दोपहिया वाहनों की औसत संख्या (iii) पार्क किये गये चारपहिया वाहनों की औसत संख्या	
(10)	निकटतम उप-सड़क या मुख्य सड़क	
(11)	परिसर में और उसके आस-पास अन्य प्रतिष्ठान	
(12)	(i) क्या कोई निजी सुरक्षा एजेंसी उपलब्ध है? (ii) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम और पता। (iii) क्या सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं?	
(13)	किसी नियत समय में प्रतिष्ठान में आगंतुकों की औसत संख्या	
(14)	प्रतिष्ठान के 50 गज के दायरे में संभावित जनसमूह के मौजूदगी की संभावना	
(15)	प्रतिष्ठान में किसी घटना के प्रति भेद्यता	
(16)	खतरे की संभावना	
(17)	इस क्षेत्र में पूर्व में घटनाएं घटी हैं, यदि हाँ, तो संपत्ति और जान-माल की क्षति का पूर्ण विवरण	
(18)	किस दायरे तक निगरानी की आवश्यकता है?	
(19)	एक्सेस कंट्रोल गजेट्स की प्रकृति का सुझाव	
(20)	निगरानी उपकरणों की प्रकृति का सुझाव	
(21)	क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने का नाम	
(22)	थाना प्रभारी/पुलिस थाना का दूरभाष संख्या	

उपरोक्त के आलोक में, इस अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान को एतद् द्वारा चिन्हित प्रतिष्ठान के रूप में घोषित किया जाता है।

हस्ताक्षर:

लोक सुरक्षा समिति.....

प्रपत्र सं०-2

(नियम-4 का उप-नियम-(2) देखें)

बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 एवं बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली-2025 के तहत चिन्हित प्रतिष्ठानों का पंजी

(1)	प्रतिष्ठान का नाम	
(2)	पूरा पता, लैंड लाईन, मोबाईल सं०, ई-मेलआई0डी0	
(3)	निकटतम लैंडमार्क	
(4)	मोबाईल नंबर के साथ स्वामी का नाम और पता	
(5)	प्रतिष्ठान के स्वामी/अधिभोगी/ प्रबंधक/व्यक्ति/व्यक्तियों या एसोसिएशन का नाम और पता	
(6)	प्रतिष्ठान का प्रकार अर्थात् व्यवसाय की प्रकृति	
(7)	क्या संपूर्ण भवन प्रतिष्ठान के स्वामी/स्वामियों के समूह/ अथवा किरायेदार/किरायेदारों द्वारा उपयोग में लाई जाती है	
(8)	यदि किराये में है, तो स्वामी या बिल्डर, एसोसिएशन का विवरण	
(9)	भवन या परिसर में प्रवेश बिन्दुओं की संख्या	
(10)	भवन या परिसर के निकास बिन्दुओं की संख्या	
(11)	अधिष्ठापित एक्सेस कंट्रोल गजेट्स का प्रकार	
(12)	क्या प्रतिष्ठान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रतिष्ठान के स्वामी या एसोसिएशन या बिल्डर द्वारा स्थापित किया गया है ?	
(13)	प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित सर्विलांस कंट्रोल का प्रकार	
(14)	क्या सुरक्षा उपकरण क्षेत्र/त्रिज्या/पार्किंग स्लॉट को आच्छादित करने हेतु कार्य करने की स्थिति में है ?	
(15)	निकटतम पार्किंग स्थल तथा प्रतिष्ठान से दूरी	
(16)	प्रतिष्ठान में आगंतुकों की कुल औसत संख्या:- (क) प्रतिदिन (ख) दिये गये समय पर कुल संभावित जनसमूह	
(17)	प्रतिष्ठान के 50 गज के दायरे में संभावित जनसमूह के मौजूदगी की संभावना	
(18)	आतंकी हमलों के लिए प्रतिष्ठान की भेद्यता	
(19)	खतरे की संभावना	
(20)	इस क्षेत्र में पूर्व में घटनाएं घटी है, यदि हाँ, तो संपत्ति और जान-माल की क्षति का पूर्ण विवरण	
(21)	निरीक्षण की तिथियाँ	

हस्ताक्षर:

लोक सुरक्षा समिति.....

प्रपत्र सं०-3

(नियम-5 का उप-नियम-(1) देखें)

निरीक्षण प्रतिवेदन

(तीन प्रतियों में तैयार किया जाना है)

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम:-

निरीक्षण की तिथि:-

अंतिम निरीक्षण की तिथि:-

(1)	प्रतिष्ठान का नाम	
(2)	पूरा पता, लैंड लाईन, मोबाईल सं०, ई-मेल आईडी	
(3)	निकटतम लैंडमार्क	
(4)	निरीक्षण के समय उपस्थित स्वामी/प्रबंधक/ व्यक्ति/ व्यक्तियों/ एसोसिएशन का नाम व पता, मोबाईल नंबर के साथ	
(5)	प्रतिष्ठान का प्रकार	
(6)	एक्सेस गैजेट्स के प्रकार	(1) डी०एफ०एम०डी० (2) एच०एच०एम०डी० (3) वाहन के नीचे का सर्च मिरर (यदि आवश्यक हो)
(7)	निगरानी गैजेट्स	सी०सी०टी०वी० (1) अधिष्ठापित कैमरों की संख्या (2) कैमरों का प्रकार (3) भंडारण क्षमता (4) पिक्सेल प्रति कैमरा
(8)	डाटा ट्रांसफर के लिए प्रावधान (हाँ/नहीं)	
(9)	एक्सेस कंट्रोल	(1) क्या कार्यरत स्थिति में हैं (2) क्या डिवाइसेस का समुचित जाँच किया जा रहा है (3) क्या जाँच में कोई उदासीनता देखी गयी है
(10)	निगरानी नियंत्रण स्थापित	(1) क्या कार्यरत हैं (2) क्या यह 24 x 7 के आधार पर काम कर रहा है? (3) क्या निगरानी नियंत्रण उपकरण प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर पहुँच क्षेत्रों को 50 गज की दूरी तक कवर कर रहा है (4) छवि की गुणवत्ता (5) निगरानी नियंत्रण डिवाइस को 30 दिनों का बैक-अप रखने की क्षमता है अथवा नहीं
(11)	क्या सुरक्षा उपकरणों का रख-रखाव संतोषजनक है	
(12)	पूर्व में देखी गयी घटनाएं और पुलिस को सूचना, तदनुसार किये गए सुधार।	
(13)	कृछ भी संदिग्ध देखा गया और की गयी उपचारात्मक कार्रवाई।	
(14)	निरीक्षण अधिकारी द्वारा सुधार हेतु सुझाव/टिप्पणी।	

स्वामी/प्रबंधक/व्यक्ति/व्यक्तियों/

प्रतिष्ठानों के संघ का हस्ताक्षर

निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1. एक-एक प्रति सुरक्षा समिति एवं प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक/व्यक्ति/व्यक्तियों/ एसोसियेशन को भेजे जाने हेतु।
2. एक प्रति कार्यालय हेतु।

प्रपत्र सं०-04

(नियम-5 का उप-नियम-3) देखें)

निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा जिले के लोक सुरक्षा समिति को अग्रसारित किये जाने वाला प्रतिवेदन।

सेवा में,

लोक सुरक्षा समिति-----

विषय:-नियम-5 उप नियम-3 के तहत निरीक्षण-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रतिष्ठान का निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति स्वीकार करें।

मैंने दिनांक -----को मेसर्स /प्रतिष्ठान -----

-----का निरीक्षण किया, जिसमें निम्न उल्लंघन पाया गया:-

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2. आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाये रखने के लिए कर्तव्यबद्ध होने के बावजूद, स्वामी/अधिभोगी /व्यक्ति/व्यक्तियों/एसोसियेशन के द्वारा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है। अनुरोध है कि अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए क्योंकि अनुपालन न करने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है।

आपका विश्वासी

लोक सुरक्षा समिति,.....

(क्षेत्राधिकार प्राप्त)

प्रपत्र सं०-05

(नियम-5 का उप-नियम-(4) देखें)

बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 एवं बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2025 के तहत कारण बताओ नोटिस का प्रपत्र

सेवा में,

स्वामी/अधिभोगी/प्रबंधक/व्यक्ति या व्यक्तियों/एसोसियेशन/प्रतिष्ठान का नाम.....

विषय :- नियम -5(4) के तहत कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

चूँकि, बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आपके प्रतिष्ठान को चिन्हित किया गया है,

2. चूँकि, आप उक्त अधिनियम एवं नियमावली में उल्लेखित सुरक्षा और सुरक्षा गैजेट्स को स्थापित एवं रख रखाव करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं,

3. चूँकि, निरीक्षण पदाधिकारी..... ने आपके प्रतिष्ठान का दिनांक..... को निरीक्षण किया और निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए :-

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

4. उपरोक्त नियमों के तहत अधिसूचित किए जाने के बावजूद आपने अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया है।

5. अतः नियम 5 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कारण बताएं कि उक्त अधिनियम/नियमों का अनुपालन न करने पर आपके विरुद्ध क्यों नहीं उचित कार्रवाई की जाए। आपकी अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए, अन्यथा उक्त अधिनियम/नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हस्ताक्षर

लोक सुरक्षा समिति,.....

(क्षेत्राधिकार प्राप्त)

प्रपत्र सं०-06

(नियम-5 का उप-नियम-(5) देखें)

शास्ति आदेश

आदेश संख्या.....

दिनांक.....

विषय:- अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण।

चूँकि, (प्रतिष्ठान का नाम) दिनांक.....को बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण नोटिस निर्गत किया गया था;

चूँकि आपके द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया/जवाब असंतोषजनक पाया गया;

अतः बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियम, 2025 के नियम-5 का उप नियम-5 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक सुरक्षा समिति एतद् द्वारा रु० (अंक में) का दंड अधिरोपित करती है।

यह राशि आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

लोक सुरक्षा समिति के आदेश से।

लोक सुरक्षा समिति, ...
(क्षेत्राधिकार प्राप्त)

The 7th May 2026

No. जी/विविध-20-03/2024/4879—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 9 of the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 (Bihar Act No. 11 of 2024), the Government of Bihar hereby makes the following rules for enforcement of Public Safety measures in establishments in the State-

Short title,
Commencement
and Application

1. These rules may be called the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2026 and,
 - (a) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - (b) It shall apply to such establishments as may be notified by the Public Safety Committee from time to time.

Definitions

2. In these Rules, unless the context otherwise requires –
 - (a) **‘Act’** means the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 (Bihar Act No. 11, 2024);
 - (b) **‘Committee’** means the Public Safety Committee constituted under section 4 of the Act;
 - (c) **‘Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police’** means the head of the Police Administration of the District posted as Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police;
 - (d) **‘Municipal Commissioner’** means the Executive head of the concerned Municipal Corporation of the District;
 - (e) **‘Sub-Divisional Officer’** means the Administrative Head of a sub division within a District;
 - (f) **‘Deputy Superintendent of Police (Head Quarter)’** means the police officer of the rank of Deputy Superintendent of Police posted at the District head quarter as Deputy Superintendent of Police(HQ);
 - (g) **‘Designated Officer’** means an officer authorized by the Public Safety Committee or Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police to access including real time access or receive video footage for prevention or investigation of an offence;
 - (h) **‘Inspecting Officer’** means a Police Officer (not below the rank of Inspector) or Municipal Officer, authorized by the Committee to inspect the establishments;
 - (i) **‘Prescribed period’** means a minimum of 30 days or such longer duration as may be notified by the Government from time to time;

**Constitution and
Composition of
Public Safety
Committee**

- (j) **‘Form’** means the Form appended to these rules;
- (k) **‘Association’ means:**
 - (i) A group of owners of various shops/commercial units situated in any commercial establishment Lease hold owned; or
 - (ii) A group of different shops and establishments concentrated in a particular geographical area having scope for large congregations at any given point of time;

3. (1) The District Magistrate shall constitute a Public Safety Committee comprising the following members:

- (a) The Municipal Commissioner - Chairperson;
- (b) Sub Divisional Police Officer - Member Secretary (Headquarters)
- (c) One technical expert having knowledge of CCTV/Security System – Member

(Nominated by the District Magistrate)

(d) Representative of the Urban Local Body – Member

(2) Sub Committee:

- (a) The Committee may constitute Sub Committee at the Sub Divisional level with the approval of the District Magistrate.
- (b) Each Sub Committee shall be chaired by the Sub - Divisional Officer and include officers from the local administration and police.
- (c) The Sub-Committee shall assist the Committee or its representative in inspection and monitoring of compliance and shall report the violations.

(3) The Committee and Sub - Committees shall meet at least once every quarter and shall maintain minutes of meetings and records of directions issued and send report to the Home Department.

**Identification of
Establishment and
Functions of Public
Safety Committee**

4. (1) The Committee shall identify establishments in Form-1 under Section 3 of the Act based on the following criteria:

- (a) Average daily footfall exceeding 100 persons at any point of time;
- (b) Likelihood of congregation of people for religious, commercial, educational, recreational or residential purposes;
- (c) Proximity to vulnerable or sensitive installations or locations;
- (d) Such other parameters as may be considered appropriate by the Committee.

- (2) The Committee shall maintain a record in Form-2 of such identified establishments and furnish the list to the Home Department time to time.
- Inspection of Premises** 5. (1) The Inspecting Officer shall conduct the inspection of establishments as per direction of the Committee or Sub Committee and prepare the inspection report in Form-3.
- (2) The Public Safety Committee may issue directions to the owner or manager of an establishment to comply with its directions within thirty days from the date of receipt thereof.
- (3) The Inspecting Officer shall forward the inspection report to the Committee or Sub Committee prescribed in Form-4 indicating compliance and violations.
- (4) In case of non-compliance with the directions of the Public Safety Committee, a show cause notice in Form-5 shall be issued within thirty days from the last day of the prescribed period.
- (5) If no reply is received within the period specified in the show cause or if the reply is found unsatisfactory, an order imposing penalty may be issued in Form-6.
- Obligation of Establishments** 6. Every identified establishment shall:
- (a) install and maintain public safety measures as specified;
- (b) ensure all equipments are functional;
- (c) secure and store video footage;
- (d) provide access including real time access to the footage as and when requested by the Designated Authority;
- (e) comply with directions issued under the Act.
- Technical Specifications for Public Safety** 7. (1) The Surveillance Systems to be installed by establishments shall conform to the following minimum specifications:
- (a) Closed Circuit Television (CCTV) Cameras with minimum 1080 pixel resolution;
- (b) infrared or night-vision capability for low light environments, AI enabled cameras wherever needed;
- (c) coverage of all entry and exit points adjoining public roads, and designated parking areas;
- (d) digital or Network — based video recording system with tamper proof storage;
- (e) minimum video retention capacity of thirty days, extendable by the order of the District Magistrate;

(f) access control systems (biometric/RFID/ other means) where applicable.

(2) The Government may notify revised specifications from time to time.

Manner of Inspection

8. (1) Inspection under Section 5 of the Act shall be conducted with prior notice of not less than two working days.

(2) The inspecting officer shall submit a report to the Committee specifying compliances or deficiencies, with photographic or video documentation wherever possible.

(3) On receipt of the report, the Committee may issue written instructions to the establishment to comply within a period specified in the order not exceeding one month.

(4) Non-compliance of instructions shall attract penalty as provided under Section 5 (2) of the Act.

Manner of filing Appeal

9. (1) An appeal under Section 6 of the Act shall be filed before the District Magistrate having jurisdiction over the establishment, within thirty days of receipt of the penalty order.

(2) The appellant shall be given an opportunity of being heard before the appeal is decided.

(3) The District Magistrate shall dispose of the appeal by a speaking order within sixty days from the date of its filing.

(4) Copies of the order shall be sent to the appellant and the Committee.

Recovery of Penalty

10. Where an establishment fails to pay penalty imposed under the Act within the prescribed period, the same shall be recovered as an arrear of land revenue in accordance with law.

Form and Record Maintenance

11. (1) The Public Safety Committee shall maintain the following records:

(a) List of identified establishments under Section 3;

(b) Inspection reports and compliance notices;

(c) Records of penalties levied and appeals disposed;

(d) Report of activities submitted to the Home Department.

(2) The Government may prescribe formats for maintenance of records and notices through executive instructions.

- Public Awareness** 12. The State Government and the Committee may conduct public awareness drives, issue guidelines and hold workshops for compliance, promotion and sensitization of the stakeholders.
- Miscellaneous** 13. (1) The Government may issue such instructions, guidelines or clarifications as it deems necessary for implementation of the Act and the rules made thereunder.
- (2) Any matter not expressly provided for in these rules shall be determined by the Government in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

*By the order of the Governor of Bihar,
K. Suhita Anupam,
Special Secretary.*

Form No.1

(See Sub-rule(1) of Rule 4)

**Form for identification of an Establishment under The
Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 and
The Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Rule, 2025**

(1)	Name of the Establishment	
(2)	Complete Address Land Line Mobile No, Email ID	
(3)	Nearest Landmark	
(4)	Name and address of owner/occupier/ manager/ person/persons/association running the establishment with Mobile No.	
(5)	Type of establishment viz. nature of business	
(6)	Whether the entire building utilized by owner/group of owners of establishment	
(7)	If tenancy, details of the owner, builder or association	
(8)	(i) Number of entry points to the building or premises	
	(ii) Number of exit points to the building or premises	
(9)	i) Nearest Parking slots and distance from the establishment	
	ii) Average number of two wheelers parked	
	iii) Average number of four wheelers parked	
(10)	Nearest sub road or main road	

(11)	Other establishment in and around the premises.	
(12)	i) Whether any private security agency is available.	
	ii) If yes, the name and address of Agency.	
	iii) Whether the Security guards are trained	
(13)	Average number of visitors to the establishment at any point of time	
(14)	Likely gathering in and around radius of 50 yards of the establishment.	
(15)	Vulnerability of the establishment to incidents.	
(16)	Threat Perception	
(17)	Previous incidents in this area,if any, (with complete details and extent of damage to property and life)	
(18)	Radius up to which the surveillance is required	
(19)	Nature of access control gadgets suggested	
(20)	Nature of surveillance gadgets suggested	
(21)	Name of the Police Station having jurisdiction over the area	
(22)	Telephone Number of Police Station/ Officer In-Charge of the Police Station	

In the light of the above, the establishment is hereby declared as an identified establishment under this Act.

Signature:

Public Safety Committee District

Form No. 2

(See Sub-rule 2 of Rule 4

Register of identified Establishments under the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 and The Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Rule, 2025

(1)	Name of the Establishment	
(2)	Complete Address, Land Line, Mobile No., Email ID	
(3)	Nearest Landmark	
(4)	Name and address of owner with Mobile No.	
(5)	Name and address of owner/occupier/ manager/ person/persons/association	
(6)	Type of Establishment i.e. nature of business	
(7)	Whether the entire building utilized by Establishment owner/group of owners or tenant/tenants	
(8)	If tenancy, the details of owner, builder or association	
(9)	Number of entry points to the building or premises	
(10)	Number of exit points from the building or premises	
(11)	Type of access control installed	
(12)	Whether electronic devices are installed by owner of the establishment or association or builder	
(13)	Type of surveillance control installed by establishment	
(14)	Whether the security gadgets are in working condition covering the area / radius / parking slots as per the Act.	
(15)	Nearest parking slots and distance from the establishment	
(16)	Total Number of visitors to the establishment on average a) Per day b) What is the total gathering at any given point of time	
(17)	Likely gathering in and around a radius of 50 yards of the establishment.	
(18)	Vulnerability of the establishment to terror attacks	
(19)	Threat Perception	
(20)	Previous incidents in this area,if any (with complete details and extent of damage)	
(21)	Dates of inspection	

Signature

Public Safety Committee
District

Form No. 3
(See Sub-rule (1) of Rule 5
Inspection Report
(To be prepared in triplicate)

Name of Inspecting Officer:-

Date of Inspection:-

Date of last Inspection:-

(1)	Name of the Establishment	
(2)	Complete Address, Land Line No., Mobile No, Email ID	
(3)	Nearest Landmark	
(4)	Name and address of owner/ occupier / Manager /person/ persons/Association present at the time of inspection with Mobile No.	
(5)	Type of establishment	
(6)	Type of Access gadgets	(i) DFMD (ii) HHMD (iii) Vehicle Bottom Search Mirror (as required)
(7)	Surveillance gadgets (CCTV)	CCTV (i) No of cameras installed. (ii) Types of cameras (iii) Storage capacity (iv) PIXELS per camera
(8)	Provision for data transfer (Yes/No)	
(9)	Access control	(i) Whether in working condition (ii) Whether checking of is properly carried out (iii) Whether any casual approach noticed in checking
(10)	Surveillance Control installed	(i) Whether in working condition. (ii) Whether working round the clock all days

		(iii) Whether covering approach areas of entry / exit points upto 50 yards (iv) Quality of image (v) Whether device has back up storage capacity for 30 days
(11)	Whether the maintenance of security gadgets is satisfactory.	
(12)	Any issues noticed earlier and informed to police; improvements made thereafter.	
(13)	Anything suspicious noticed and remedial actions taken	
(14)	Suggestions for improvement / remarks of Inspecting officer	

Signature of
Owner/ Occupier/ Manager/Inspecting Officer
Association of Establishment
(Having Jurisdiction over the area)

Signature of

1. One copy to be sent to the Public Safety Committee and the Owner/ Occupier / Manager / Person /Persons / Association of Establishments
2. One copy for office record.

Form No. 4

(See Sub-rule (3) of Rule 5)

Forwarding letter from Inspecting Officer to the Public Safety Committee of the District

To

The Public Safety Committee

Sub:- Submission of Inspection report under Rule 5 (3)

Sir,

Please find enclosed, the inspection report of Establishment M/S.....inspected on that on I along with inspected the establishment and found the following violations:

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2. In spite of being duty bound to maintain the required safety measures, owner/occupier/ manager / person or the persons / association has violated Section 3 of the Act. It is requested that necessary action be taken against the concerned establishment under the relevant provisions of the Act, as such non-compliance is likely to endanger public safety.

Yours faithfully,

Public Safety Committee

(Having jurisdiction over the area)

Form No. 5**(See Sub-rule (4) of Rule 5)**

Format of show cause notice under the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 and the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2025

To,

The Owner/Occupier / Manager / Person or the Persons /

Association of- ----- Establishment

Sub: Show Cause Notice under Rule 5 (4)

Sir,

Whereas, your establishment has been identified under the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024;

2. Whereas, you are duty bound to install and maintain safety and security gadgets as required under the Act and Rules;

3. Whereas, the inspecting officer.....inspected your establishment on.....and found the following violations;

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

4. In spite of being notified under the above Rules, you have violated Sec.3 of the Act;

5. Therefore, in exercise of powers under Rule 5 (4), you are hereby directed to show cause as to why suitable action should not be taken against you. Your compliance report must reach this office within 15 days, failing which suitable action will be initiated under the said Act/Rules.

Public Safety Committee

(Having jurisdiction over the area)

Form No. 6

See Sub-rule (5) of Rule 5

Order of penalty

Order No.

Date :.....

Subject :- Imposition of penalty under Section 5 of the Act

Whereas, a show cause notice dated was issued to (Name of establishment) for non -compliance with the provisions of the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024;

And whereas no reply was received/the reply received was found unsatisfactory;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Rule 5 (5) of the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2025 the Public Safety Committee hereby imposes a penalty of Rs.....(Rupees.....only).

The penalty shall be deposited within 30 days from the date of receipt of this order, failing which recovery shall be made as arrears of land revenue.

Public Safety Committee
(Having jurisdiction over the area)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 453-571+500-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>